

**उप निदेशक(रेशम)**

मुख्यालय लखनऊ, फतेहपुर, बहराइच,।

**सहायक निदेशक(रेशम)**

वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, कानपुर नगर,  
गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।



**आहरण वितरण अधिकारी**

मुख्यालय लखनऊ, फतेहपुर, वाराणसी, कानपुर नगर,  
बहराइच, गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।

रेशम विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-20/2017/173/74-2-2017-16(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों हेतु रू० 65,21,000.00 (रूपये पैसठ लाख इक्कीस हजार मात्र) की स्वीकृति अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-~~11-रेशम कीटाणु~~-11-रेशम कीटाणु के विकास की योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 65,21,000.00 (रूपये पैसठ लाख इक्कीस हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-~~11~~-11-रेशम कीटाणु के विकास की योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।  
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


  
14/6/17  
(कृपाशंकर पाण्डेय)  
निदेशक(रेशम)  


पत्रांक 07 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थानहिल रोड, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अनु सचिव, रेशम विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, फतेहपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, बहराइच, गोरखपुर, मेरठ, औरैया, सोनभद्र, झांसी।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उप निदेशक (रेशम) मुख्यालय, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (रेशम) मुख्यालय, लखनऊ।
8. ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, मुख्यालय-लखनऊ।
9. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
10. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
(पी0सी0चौधरी)  
वित्त नियंत्रक

पत्रांक 07/सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 4 जून, 2017 का अनुलग्नक  
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-11-रेशम कोटाण्ड के विकास की योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृति धनराशि का जनपदवार एवं मदवार फॉट का विवरण  
(धनराशि रुपये में)

क्र0	आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम	जनपद	कोषागार का नाम	मदवार धनराशि का आवंटन							पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
				02-मजदूरी	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत व्यय	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग		
1	उप निदेशक, रेशम	चन्दौली	वाराणसी	87000	4500	0	30000	6000	40000	167500	0	167500
2	उप निदेशक, रेशम	मिर्जापुर	वाराणसी	25000	2000	0	30000	4000	0	61000	0	61000
		<b>योग</b>		<b>112000</b>	<b>6500</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>10000</b>	<b>40000</b>	<b>228500</b>	<b>0</b>	<b>228500</b>
3	सहा0 निदेशक, रेशम	कानपुर नगर	कानपुर नगर	25000	6500	85000	21000	8000	77000	222500	0	222500
4	सहा0 निदेशक, रेशम	कानपुर देहात	कानपुर नगर	25000	4500	45000	21000	5000	0	100500	0	100500
		<b>योग</b>		<b>50000</b>	<b>11000</b>	<b>130000</b>	<b>42000</b>	<b>13000</b>	<b>77000</b>	<b>323000</b>	<b>0</b>	<b>323000</b>
5	सहा0 निदेशक, रेशम	फतेहपुर	फतेहपुर	25000	6500	0	24000	8000	36000	99500	0	99500
6	सहा0 निदेशक, रेशम	चित्रकूट	फतेहपुर	11000	0	0	5000	3000	0	19000	0	19000
		<b>योग</b>		<b>36000</b>	<b>6500</b>	<b>0</b>	<b>29000</b>	<b>11000</b>	<b>36000</b>	<b>118500</b>	<b>0</b>	<b>118500</b>
7	सहा0 निदेशक, रेशम	बहराइच	बहराइच	422000	9000	152000	53000	11000	634000	1281000	0	1281000
8	उप निदेशक, रेशम	गोरखपुर	गोरखपुर	162000	6500	45000	53000	8000	382000	656500	0	656500
9	सहा0 निदेशक, रेशम	मेरठ	मेरठ	98000	6500	45000	53000	8000	230000	440500	0	440500
10	सहा0 निदेशक, रेशम	औरैया	औरैया	172000	6500	45000	53000	8000	306000	590500	0	590500
11	सहा0 निदेशक, रेशम	सोनभद्र	सोनभद्र	191000	6500	0	53000	8000	68000	326500	0	326500
12	सहा0 निदेशक, रेशम	ललितपुर	झांसी	32000	4000	0	21000	6000	27000	90000	0	90000
12	सहा0 निदेशक, रेशम	गोण्डा	गोण्डा	25000	0	0	0	0	50000	75000	0	75000
12	सहा0 निदेशक, रेशम	सहारनपुर	मेरठ	25000	0	0	0	0	50000	75000	0	75000
12	सहा0 निदेशक, रेशम	महाराजगंज	गोरखपुर	25000	0	0	0	0	50000	75000	0	75000
12	सहा0 निदेशक, रेशम	कुशीनार	कुशीनार	25000	0	0	0	0	50000	75000	0	75000
13	उप निदेशक, रेशम	रेशम	जवाहर भवन									
		निदेशालय, मु0 लखनऊ	लखनऊ	0	0	0	0	0	2166000	2166000	0	2166000
		<b>महायोग</b>		<b>1375000</b>	<b>63000</b>	<b>417000</b>	<b>417000</b>	<b>83000</b>	<b>4166000</b>	<b>6521000</b>	<b>0</b>	<b>6521000</b>

(रु0 पैसठ लाख इक्कीस हजार मात्र)

(पी0सी0चौधरी)  
Digitized by eGangotri

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	1	0	7	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---